रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 278] नई दिल्ली, सोमवार, मई 19, 2008/वैशाख 29, 1930

No. 278] NEW DELHI, MONDAY, MAY 19, 2008/VAISAKHA 29, 1930

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मई, 2008

सा.का.नि. 387(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) की धारा 53ङ की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 63 की उप-धारा (2) के खण्ड (डख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**–(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम प्रतिस्पर्धा अपील अधिकरण (चयन समिती की अवधि और नामों के पैनल की चयन की रीति) नियम, 2008 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**–(1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,–

(क) ''अधिनियम'' से प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) अभिप्रेत है ;

(ख) समिति से अधिनियम की धारा 53ड. की उप-धारा (1) के अधीन गठित चयन समिति अभिप्रेत है ।

(2) वे शब्द और पद जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं लेकिन परिभाषित नहीं हैं और प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12) में परिभाषित हैं उनका वही अर्थ होगा जो उस अधिनियम में हैं।

3. **समिति की अवधि.**–धारा 53ङ की उप-धारा (1) के अधीन गठित समिति की अवधि इसके गठन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए होगी।

4. **नामों के पैनल के चयन की रीति.**–(1) जब कभी अपील अधिकरण के अध्यक्ष अन्य सदस्यों की रिक्ति विद्यमान होती है या जब कभी ऐसी रिक्ति उद्‌भूत होती या उसके उद्‌भूत होने की संभावना होती है तो केन्द्रीय सरकार नामों के पैनल को सिफारिश के लिए ऐसी रिक्ति या रिक्तियों के संबंध में समिति को निर्देश दे सकेगी।

(2) समिति, अपील अधिकरण के अध्यक्ष या किसी सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए सिफारिश किए जाने वाले नामों के पैनल में सम्मिलित किए जाने के लिए व्यक्तियों के चयन के लिए स्वयं की प्रक्रिया अपनाएगा।

(3) समिति, उप-नियम (1) के अधीन किए गए निर्देश की तारीख से एक सौ बीस दिन की अनधिक अवधि के भीतर केन्द्रीय सरकार को अपनी सिफारिश करेगी।

(4) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा नामनिर्दिष्ट संयुक्त सचिव समिति का संयोजक होगा।

5. **समिति के कृत्य.**–समिति, प्रत्येक रिक्ति के संबंध में समिति को निर्दिष्ट है, एक ऐसे पैनल की सिफारिश करेगी जिसमें नियम (4) के उपनियम (2) के अधीन चयनित तीन नाम तक हो सकेंगे।

[फा. सं. 5/1/2008-सी.एल. V]

जितेश खोसला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delh, the 16th May, 2008

G.S.R. 387(E).—In exercise of the powers conferred by clause (mb) of sub-section (2) of Section 63 read with

sub-section (2) of Section 53E, of the Competition Act, 2002 (12 of 2003) the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Competition Appellate Tribunal (Term of the Selection Committee and the manner of selection of panel of names) Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) 'Act' means the Competition Act, 2002 (12 of 2003);

(b) 'Committee' means the Selection Committee constituted under sub-section (1) of Section 53E of the Act.

(2) Words and expressions used but not defined in these rules and defined in the Competition Act, 2002 (12 of 2003) shall have the same meaning assigned to them in that Act.

3. Term of the Committee.—The term of the Committee constituted under sub-section (1) of Section 53E shall be for a period of one year from the date of its constitution.

4. Manner of Selection of a Panel of Names.—(1) Whenever any vacancy of Chairperson or other Members of the Appellate Tribunal exists or as and when such vacancy arises or is likely to arise, the Central Government may make a reference to the Committee in respect of such vacancy or vacancies for recommendation of a panel of names.

(2) The Committee shall devise its own procedure for selecting the persons for inclusion in the panel of names to be recommended for appointment as the Chairperson or a Member of the Appellate Tribunal.

(3) The Committee shall make its recommendations to the Central Government, within a period not exceeding one hundred and twenty days from the date of reference made under sub-rule (1).

(4) The Joint Secretary nominated by the Ministry of Corporate Affairs shall be the Convener of the Committee.

5. Functions of Committee.—The Committee shall recommend a panel which may contain upto three names, selected under sub-rule (2) of rule 4, in respect of each vacancy that has been referred to the Committee.

[F. No. 5/1/2008-CL.V]

JITESH KHOSLA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.